न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

फौजदारी प्रकरण संख्या 1/2015

सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री मालसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोला पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर।

.....गैर सायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :–

1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर।
2. श्री प्रयागधर हरित, वकील गैर सायल की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 14.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान ''न्याय आपके द्वारा 2017'' का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि थानाधिकारी पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा एक इस्तगासा पुलिस अधीक्षक अजमेर के माध्यम से जरिये सहायक लोक अभियोजक अजमेर के गैर सायल श्री मालसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोला पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का दिनांक 25.08.2015 को इस आशय का पेश किया कि गैर सायल बदमाश व हथकड़ी शराब तस्करी के लिए गलत संगत में पड़ जाने के कारण कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका तथा बदमाश शराबियों के साथ रहना एवं उनके साथ मिलकर गांव में हथकड़ी शराब बेचने की गलत आदत पड़ जाने से बीड़ी सिगरेट पीना, शराब सेवन करना आदि गन्दी आदतों का शिकार हो गया। गैर सायल समस्त प्रयासों के बावजूद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है तथा इसकी अपराधिक प्रवृति लगातार जारी है। अतः इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल के विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन तलब किया गया। गैर सायल जरिये वकील उपस्थित हुए तथा वांछित राशि की जमानत/मुचलका पेश किया। वकील गैर सायल ने गैर सायल एवं श्री अमरा पुत्र श्री हांसा गुर्जर निवासी ग्राम गोला का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसे शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि गैर सायल बदमाश व हथकड़ी शराब तस्करी के

Scanned by CamScanner

लिए गलत संगत में पड़ जाने के कारण कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका तथा बदमाश शराबियों के साथ रहना व उनके साथ मिल कर गांव में हथकड़ी शराब बेचने की गलत आदत पड़ जाने से बीड़ी, सिगरेट पीना, शराब सेवन करना आदि गन्दी आदतों का शिकार हो गया। उन्होंने आगे कथन किया कि गैर सायल पुलिस थाना मांगलियावास क्षेत्र में लगातार हथकड़ी शराब बेचता आ रहा है। इनके विरूद्व वर्ष 2009 से 2011 तक राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रकरण लगातार दर्ज होते आ रहे है तथा समस्त प्रयासों के बावजूद भी गैर सायल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है एवं इसकी आपराधिक प्रवृति लगातार जारी है। सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु समय–समय पर इन्सदादी कार्यवाही भी की जाकर पाबंद करवाया गया है, परन्तु गैर सायल अपनी आपराधिक प्रवृति को नहीं छोड़ रहा है। गैर सायल के विरूद्व दर्ज प्रकरणों में संबंधित अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अनुसंधान कर आरोप पत्र माननीय सक्षम न्यायालय में पेश किए जा चुके है तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैर सायल को दोषी करार कर जुर्माना से दण्डित किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि गैर सायल के विरूद्व मुकदमा नम्बर 142/2009 दिनांक 08.11.2009 धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम थाना मांगलियावास में दर्ज होकर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें दिनांक 03.05.2011 को सजा हुई तथा दिनांक 13.04.2010 को मुकदमा संख्या 43/2010 धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम थाना मांगलियावास में दर्ज हुआ जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2012 को आरोपी को सजा दी गई है। सहायक लोक अभियोजक ने यह भी कथन किया कि इस्तगासा संख्या 2/2013 व 2/2015 अन्तर्गत धारा 110 सीआर.पी.सी. में भी न्यायालय द्वारा इन्हें पाबंद किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैर सायल के विरूद्व कार्यवाही की जाकर 6 माह की अवधि के लिए उन्हें जिला बदर किया जावे।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर द्वारा प्रस्तुत बहस का धोर विरोध करते हुए वकील गैर सायल ने कथन किया कि इस्तगासे में अंकित समस्त कथन झूठे है। पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा गैर सायल के विरूद्व द्वेषतावश झूठे मुकदमें दर्ज कर फंसाया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2009, 2010 व 2011 में आबकारी अधिनियम के तहत झूठे मुकदमें दर्ज किये गये थे जिनका निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। वर्ष 2011 के पश्चात् गैर सायल के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण न तो दर्ज है तथा न ही फौजदारी कार्यवाही की गई है। वकील गैर सायल ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि स्वयं गैर सायल एवं श्री अमरा पुत्र श्री हांसा गुर्जर निवासी ग्राम मांगलियावास ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कथन की पुष्टि की है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 ''कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा'' की धारा 468(2)(क) में परिसीमा 6 माह निर्धारित क़ी गई है। गैर सायल के विरूद्व वर्ष 2011 के पश्चात् कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस्तगासा मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। अतः इस्तगासा अवधि पार होने से निरस्त किया जाकर गैर सायल के विरूद्व की जा रही कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे का अवलोकन करने पर इनके विरूद्व एक ही प्रकृति के 3 प्रकरण अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान

अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज करवाये गये थे जिनका निरस्तारण हो चुका है। प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुलिस द्वारा इस्तगासा प्रस्तुत करने के पश्चात् आज दिवस तक अभियुक्त की वर्तमान गतिविधि के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे अभियुक्त की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में उपधारणा किया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 की धारा 468(2)(क) में परिसीमा काल 6 माह निर्धारित किया गया है। अभियुक्त विरूद्व वर्ष 2011 के पश्चात् कोई भी फौजदारी प्रकरण दर्ज नहीं होना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है।

अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा मियाद बाहर होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Scanned by CamScanner